सत्यमेव जयते

बिहार सरकार

बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत यथा-अपेक्षित विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत विवरण

सुशील कुमार मोदी

उप मुख्य (वित्त) मंत्री

फरवरी, 2012

विषय सूची

	पृष्ठ
(क) वृहद् आर्थिक रूपरेखा विवरण	1-5
(ख) मध्यावधि राजकोषीय नीति विवरण	6-12
(ग) राजकोषीय नीति कार्ययोजना विवरण	12-18

बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम 2006 को 18 फरवरी 2006 के प्रभाव से लागू किया गया है । उक्त अधिनियम की धारा 5 में यह प्रावधान है कि राज्य सरकार प्रत्येक वर्ष विधान मंडल के दोनों सदनों के समक्ष बजट के साथ-साथ राजकोषीय नीति संबंधी विवरणों को रखेगी । उक्त के आलोक में विवरणियाँ निम्नवत हैः-

(क) वृहद् आर्थिक रूपरेखा का विवरण

1. राज्य अर्थव्यवस्था पर विस्तृत अवलोकन-

1.1 बिहार राज्य की अर्थव्यवस्था की संरचना तथा इसमें होने वाले परिवर्तनों का अखिल भारतीय स्तर पर तुलनात्मक विश्लेषण तालिका 1.1 में प्रदर्शित है ।

तालिका 1.1

अर्थव्यवस्था की संरचना में परिवर्तन (2004-05 के स्थिर मूल्यों पर)

प्रतिशत में

क्षेत्र / वर्ष	अखिल भारत		बिहार	
	2004-05	2010-11	2004-05	2010-11
प्राथमिक	19.03	14.36	31.59	19.86
द्वितीयक	20.22	20.02	13.71	16.89
तृतीयक	60.75	65.62	54.70	63.25

स्रोत- अखिल भारत के आंकड़े केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन एवं बिहार राज्य के आंकड़े अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी निदेशालय, योजना एवं विकास विभाग, बिहार सरकार से लिये गये है ।
नोटः- वर्ष 2010-11 के आंकड़े त्वरित अनुमानित है ।

1.2 वर्ष 2004-05 से 2010-11 की अवधि में अखिल भारतीय एवं राज्य स्तर पर अर्थव्यवस्था की संरचना में परिवर्तन हुए हैं । राष्ट्रीय स्तर पर इस अवधि में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान 19.03 प्रतिशत से घटकर 14.36 प्रतिशत, द्वितीयक क्षेत्र का योगदान 20.22 प्रतिशत के नजदीक 20.02 प्रतिशत एवं तृतीयक क्षेत्र का योगदान 60.75 प्रतिशत से बढ़कर 65.62 प्रतिशत हो गया है । इसी अवधि में बिहार राज्य में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान 31.59 प्रतिशत से घटकर 19.86 प्रतिशत, द्वितीयक क्षेत्र का योगदान 13.71 प्रतिशत से बढ़कर 16.89 प्रतिशत एवं तृतीयक क्षेत्र का योगदान 54.70 प्रतिशत से बढ़कर 63.25 प्रतिशत हो गया है ।

1.3 वर्ष 2004-05 में अखिल भारत के सकल घरेलू उत्पाद में बिहार का योगदान 2.62 प्रतिशत था जो वर्ष 2010-11 में बढ़कर 2.96 प्रतिशत हो गया है । वर्ष 2009-10 की तुलना में वर्ष 2010-11 में राज्य के घरेलू उत्पाद में 14.77 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई । विगत पाँच वर्षों (2004-05 से 2010-11) के दौरान राज्य के सकल घरेलू उत्पाद की औसत वृद्धि दर 11.36 प्रतिशत रही है, जबकि इसके पूर्व के पाँच वर्षो (1999-2000 से 2004-2005) में यह 4.42 प्रतिशत रही थी ।

2. सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वृद्धि-

2.1 वर्ष 2010-11 के त्वरित अनुमान के अनुसार सकल राज्य घरेलू उत्पाद (2004-05 के स्थिर मूल्यों पर) में गत वर्ष की तुलना में 14.77 प्रतिशत वृद्धि हुई है ।

2.2 बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वर्ष 2004-05 से वर्ष 2010-11 की अवधि में 11.36 प्रतिशत औसत वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई जो राष्ट्रीय औसत 8.6 प्रतिशत से काफी अधिक है । वर्ष 2010-11 में स्थिर मूल्यों पर (आधार वर्ष 2004-05) प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक क्षेत्रों में क्रमशः 6.31 प्रतिशत, 19.25 प्रतिशत तथा 16.52 प्रतिशत की वृद्धि हुई है । वर्ष 2010-11 के लिये राज्य सकल घरेलू उत्पाद में अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों का योगदान तथा उनमें वृद्धि/कमी की स्थिति तालिका 2.1 में दर्शाई गई है ।

तालिका 2.1

स्थिर मूल्यों (आधार वर्ष 2004-05) पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद में विभिन्न क्षेत्रों का योगदान

क्र0सं0	क्षेत्र	2009-10 (प्रावधिक अनु.)	2010-11 (त्वरित अनु.)	2009-10 की तुलना में2010-11 में प्रतिशत वृद्धि /कमी
1	कृषि /पशुपालन	23182	24970	7.71
2	वानिकी /काष्ठ उत्पादन	2462	2414	-1.95
3	मत्स्य उद्योग	1259	1223	-2.86
4	खनन /प्रस्तर खनन	91	91	0.00
	उप योग (प्राथमिक)	**26994**	**28698**	**6.31**
5	विनिर्माण	**6305**	**6869**	8.95
	(i) निबंधित	1956	2313	18.25
	(ii) अनिबंधित	4349	4556	4.76
6	निर्माण	12496	15818	26.58
7	विद्युत /जलापूर्ति /गैस	1663	1716	3.19
	उप योग (द्वितीयक)	**20464**	**24403**	**19.25**
8	परिवहन /भंडारण/ संचार	8849	10779	21.81

	(i) रेलवे	2201	2306	4.77
	(ii) अन्य परिवहन	2969	3376	13.71
	(iii) भंडारण	85	90	5.88
	(iv) संचार	3594	5007	39.32
9	व्यापार /होटल/ रेस्टोरेंट	37483	45014	20.09
	उप योग (8+9)	**46332**	**55793**	20.42
10	बैंकिंग / बीमा	5266	6599	25.31
11	स्थावर संपदा, आवास स्वामित्व तथा व्यवसाय सेवाएं	6377	7032	10.27
	उप योग (10+11)	**11643**	**13631**	17.07
12	लोक प्रशासन	7442	8422	13.17
13	अन्य सेवाएं	13000	13526	4.05
	उप योग (तृतीयक)	**78417**	**91372**	16.52
कुल जी0एस0डी0पी0		**125875**	**144473**	**14.77**

2.3 वर्ष 2010-11 के त्वरित अनुमान के अनुसार चालू मूल्यों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद रू० 213072.77 करोड़ है । इसमें पिछले वर्ष के प्रावधिक अनुमान की तुलना में 21.58 प्रतिशत की वृद्धि हुई है । यह वृद्धि वर्ष 2009-10 की तुलना में 16.28 प्रतिशत की वृद्धि दर से अधिक रही है ।

3. राज्य सरकार के वित्त साधन पर विस्तृत विचार-

3.1 वर्ष 2010-11 में राजस्व अधिक्य रू० 6316.40 करोड़ हुआ जो बजट अनुमान में रू0 6556.70 करोड़ अनुमानित था । वर्ष 2010-11 में राजकोषीय घाटा रू० 4593.56 करोड़ के बजट अनुमान की तुलना में वित्त लेखे के अनुसार रू० 3970.31 करोड़ हुआ है जो बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत वर्ष 2010-11 के लिये निर्धारित सीमा (सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3.50 प्रतिशत) के भीतर है एवं मात्र 1.86 प्रतिशत है ।

3.2 वर्ष 2010-11 के लेखे के अनुसार कुल राजस्व प्राप्तियाँ रू० 44532.32 करोड़ है जो बजट अनुमान रू० 47235.06 करोड़ से कम है । इस कमी का मुख्य कारण इस अवधि में राज्य सरकार के कर एवं कर भिन्न राजस्व एवं केन्द्र सरकार से सहायक अनुदान मद में बजट अनुमान से कम राशि प्राप्त होना है ।

3.3 वर्ष 2010-11 में राज्य के कर राजस्व एवं करेतर राजस्व की वास्तविक प्राप्तियाँ क्रमशः 9869.85 करोड़ रूपये एवं 985.53 करोड़ रूपये थी जो वर्ष 2010-11 के बजट अनुमान 10643.93 करोड़ रूपये एवं 1206.74 करोड़ रूपये से क्रमशः 7.27 एवं 18.33 प्रतिशत कम है । वर्ष 2009-10 में कर राजस्व एवं करेतर राजस्व में क्रमशः 8089.67 करोड़ रूपये एवं 1670.42 करोड़ रूपये की प्राप्ति हुई है ।

4. संभावनाएं-

4.1 वर्ष 2004-05 से 2010-11 की अवधि में बिहार राज्य में पंजीकृत विनिर्माण की विकास दर धनात्मक बनी रही है । विनिर्माण क्षेत्र में निजी पूंजी निवेश भी आकर्षित हुआ है; परिणामस्वरूप, इस क्षेत्र की विकास दर में और सुधार की आशा है ।

4.2 वर्ष 2010-11 में ससमय वर्षा के फलस्वरूप कृषि क्षेत्र में 6.31 प्रतिशत (स्थिर मूल्य पर) की वृद्धि दर्ज की गई है इससे राज्य की अर्थिक विकास दर में सुधार हुआ है ।

4.3 वर्ष 2010-11 में तृतीयक क्षेत्र के संचार परिक्षेत्र में 39.32 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है, जो राज्य के आर्थिक विकास को प्रदर्शित करता है ।

4.4 राज्य के राज्य सकल घरेलू उत्पाद से राजकोषीय घाटे का प्रतिशत वर्ष 2010-11 में मात्र 1.86 प्रतिशत रहने से राज्य के ऊपर सकल ऋण भार में वृद्धि सीमित रहा है । वर्ष 2011-12 के बजट अनुमान के अनुसार राजकोषीय घाटा एफ0आर0बी0एम0, अधिनियम द्वारा निर्धारित सीमा के 3.00 प्रतिशत तक रहने की संभावना है ।

प्रमुख राजकोषीय सूचकों का रूख						
अनु0 क्र0	राजकोषीय सूचक	पूर्व वर्ष	चालू वर्ष	आगामी वर्ष	पूर्व वर्ष से चालू वर्ष में परिवर्तन (प्रतिशत)	चालू वर्ष से आगामी वर्ष में परिवर्तन (प्रतिशत)
		2010-11 (वास्तविक)	2011-12 (बजट अनुमान)	2012-13 (बजट अनुमान)		
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	राजस्व प्राप्तियाँ (2+3+4)	**44532.32**	**56205.86**	**68047.86**	26.21	21.07
2	कर राजस्व (2.1+2.2)	**33848.23**	**39549.29**	**48821.63**	16.84	23.45
2.1	राज्य का अपना कर राजस्व	**9869.85**	**12582.9**	**15695.3**	27.49	24.74
2.2	केन्द्रीय करों में हिस्सा	23978.38	26966.39	33126.33	12.46	22.84
3	करेतर राजस्व	985.53	2985.94	3142.46	202.98	5.24
4	केन्द्रीय सरकार से सहायक अनुदान	9698.56	13670.63	16083.77	40.96	17.65
5	पूंजीगत प्राप्तियाँ(6+7)	**6044.28**	**9106.98**	**9336.48**	50.67	2.52
6	ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली	11.86	18.09	15.05	52.53	-16.80
7	लोक ऋण	6032.42	9088.89	9321.43	50.67	2.56
8	कुल प्राप्तियाँ(1+5)	**50576.60**	**65312.84**	**77384.34**	29.14	18.48
9	राजस्व व्यय (9.1+9.2)	38215.92	49933.56	60959.27	30.66	22.08
9.1	आयोजना भिन्न राजस्व व्यय	27316.41	34619.00	42079.31	26.73	21.55
9.2	आयोजना राजस्व व्यय	10899.51	15314.56	18879.96	40.51	23.28
9.3	आयोजना भिन्न राजस्व व्यय... जिसमें					
9.3.1	ब्याज भुगतान	4319.16	4738.51	5186.00	9.71	9.44
9.3.2	वेतन	9953.36	12451.18	14100.66	25.10	13.25
9.3.3	पेंशन	6143.86	7584.26	10043.02	23.44	32.42
10	पूंजीगत व्यय (10.1+10.2)	12488.60	15392.30	17727.55	23.25	15.17
10.1	आयोजना भिन्न पूंजीगत व्यय जिसमें	2477.56	3203.95	3243.66	29.32	1.24
10.1.1	लोक ऋण	2190.03	2907.89	3054.48	32.78	5.04
10.2	आयोजना पूंजीगत व्यय	10011.04	12188.35	14483.89	21.75	18.83
11	ऋण एवं अग्रिम (11.1+11.2)	1102.64	1036.61	1260.71	-5.99	21.62
11.1	आयोजना भिन्न ऋण एवं अग्रिम	241.85	200.30	86.91	-17.18	-56.61
11.2	आयोजना ऋण एवं अग्रिम	860.79	836.31	1173.80	-2.84	40.35
12	कुल व्यय (9+10)	50704.52	65325.86	78686.82	28.84	20.45
12.1	आयोजना भिन्न व्यय (9.1+10.1)	29793.97	37822.95	45322.97	26.95	19.83
12.2	आयोजना व्यय (9.2+10.2)	20910.55	27502.91	33363.85	31.53	21.31
14	राजस्व आधिक्य(1-10)	6316.40	6272.30	7088.59	-0.70	13.01
15	राजकोषीय घाटा (1+6-13)	3970.31	6194.02	7569.43	56.01	22.21
16	प्राथमिक घाटा (15-10.3.1)	-348.85	1455.51	2383.43	-517.23	63.75

(ख) मध्यावधि राजकोषीय नीति विवरणः-

12वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में बिहार राज्य में भी राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2006 लागू किया गया । उक्त के आलोक में राजस्व घाटा वर्ष 2008-09 में समाप्त करना था और इसके पश्चात राजस्व अधिशेष बनाये रखना था । वर्ष 2008-09 से राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 3.00 प्रतिशत तक रखा जाना था । आर्थिक परिस्थितियों के आलोक में केन्द्र द्वारा इस लक्ष्य को वर्ष 2009-10 एवं 2010-11 के लिये क्रमशः 4.00 प्रतिशत और 3.50 प्रतिशत रखा गया था । वर्ष 2011-12 के लिए इस लक्ष्य को पुनः 3.00 प्रतिशत रखा गया है । आगामी वर्षों में भी 13वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार राजकोषीय घाटे को 3.00 प्रतिशत की सीमा में रखा जायेगा । इसके साथ ही 13वें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के अन्तर्गत राजकोषीय एवं वित्तीय प्रबंधन (ऋण सीमा सहित) संबंधी दिशा निर्देशों का पालन किया जायेगा ।

राजकोषीय संकेतक-परिवर्त्तनीय लक्ष्य

(राशि करोड़ में)

क्र0 सं0	मद	वास्तविकी	वास्तविकी	बजट अनुमान	लक्ष्य		
		2009-10	**2010-11**	**2011-12**	**2012-13**	**2013-14**	**2014-15**
1	सकल घरेलू उत्पाद	177537.00	213072.77	211400.00	263876.00	294221.74	328057.24
2	राजस्व बचत	2942.66	6316.40	6272.30	7088.59	7443.02	7815.17
3	राजकोषीय घाटा	5273.02	3970.31	6194.03	7569.43	8826.65	9841.72
4	लोक ऋण वर्ष के अन्त में शेष	43442.47	47284.86	53465.86	59732.81	66694.17	74670.95
5	कर राजस्व	26292.25	33848.23	39549.29	48821.63	57243.55	67170.46
6	सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में राजस्व बचत	1.66	2.96	2.97	2.69	2.53	2.38
7	सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में कुल राजकोषीय घाटा	2.97	1.86	2.93	2.87	3.00	3.00
8	सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में कुल कर राजस्व	14.81	15.89	18.71	18.50	19.46	20.48
9	सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में लोक ऋण	24.47	22.19	25.29	22.64	22.67	22.76

नोटः जी.एस.डी.पी. के वित्तीय वर्ष 2009-10 के राज्य सकल घरेलू उत्पाद के आंकड़े योजना एवं विकास विभाग के अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय के पत्र सं0- 170 दिनांक- 06.02.2012 के आधार पर रखे गये है । वर्ष 2010-11 के सकल राज्य घरेलू उत्पाद के वे आंकड़े हैं जो कि भारत सरकार के द्वारा 2012-13 के ऋण अधिसीमा के लिए माने गये हैं । वर्ष 2012-13 के राज्य सकल घरेलू उत्पाद की राशि भारत सरकार के द्वारा जो ऋण अधिसीमा के लिए गणना की है उसे ही दिखलाया गया है और वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 में वर्ष 2012-13 पर 11.5 प्रतिशत की वृद्धि का आधार मानते हुए प्रत्येक वर्ष दिखलाया गया है ।

राजकोषीय संकेतक का पूर्वानुमान-

(1) **राजस्व प्राप्तियाँ :-**

(क) <u>**कर राजस्व**</u> - कर राजस्व में राज्य के स्वयं का कर राजस्व तथा केन्द्रीय करों का अंतरण सम्मिलित है । वर्ष 2012-13 के लिए केन्द्रीय कर राजस्व में राज्य का हिस्सा रू0 33126.33 करोड़ अनुमानित है । केन्द्रीय कर राजस्व में राज्य के हिस्से में वर्ष 2011-12 में भारत सरकार के बजट अनुमान पर 15 प्रतिशत वृद्धि मानते हुए अनुमानित किया गया है । वर्ष 2012-13 में राज्य की स्वयं की कर राजस्व प्राप्तियों का बजट अनुमान रू0 15695.30 करोड़ है ।

(ख) <u>**करेत्तर राजस्व**</u> - वर्ष 2012-13 के लिए राज्य का करेत्तर राजस्व रू0 3142.46 करोड़ अनुमानित है जिसमें 2000.00 करोड़ रूपये झारखण्ड राज्य से 14 नवम्बर 2000 के पूर्व सेवा निवृत कर्मियों को भुगतान की गयी पेंशन की दायित्व की राशि प्राप्त होनी है ।

(ग) <u>**कुल राजस्व प्राप्तियों में राज्य के स्वयं के कर राजस्व का हिस्सा**</u> - कुल राजस्व प्राप्तियों में राज्य के स्वयं के कर राजस्व का हिस्सा वर्ष 2011-12 (पुनरीक्षित अनुमान) में 12609.20 करोड़ रूपये का अनुमान है और 2012-13 में 15695.30 करोड़ रूपया प्राप्त होना अनुमानित की गयी है । वर्ष 2011-12 के कुल राजस्व में राज्य का कर राजस्व का हिस्सा 22.46 प्रतिशत अनुमानित है जो वर्ष 2012-13 में बढ़कर 23.07 प्रतिशत प्राप्त होने की संभावना है ।

(घ) <u>**कुल राजस्व प्राप्तियों में राज्य के करेत्तर राजस्व का हिस्सा**</u> - कुल राजस्व प्राप्तियों में राज्य के स्वयं के करेत्तर राजस्व का हिस्सा वर्ष 2011-12 (पुनरीक्षित अनुमान) में 1036.54 करोड़ रूपये का अनुमान है और 2012-13 में 3142.46 करोड़ रूपया प्राप्त होना अनुमानित की गयी है । वर्ष 2011-12 के कुल राजस्व में राज्य का करेत्तर राजस्व का हिस्सा 1.85 प्रतिशत अनुमानित है जो वर्ष 2012-13 में बढ़कर 4.62 प्रतिशत प्राप्त होने की संभावना है ।

(2) **पूंजीगत प्राप्तियाँ :-**

वर्ष 2012-13 में पूंजीगत प्राप्तियां रू0 9336.48 करोड़ होने की संभावना है जो वर्ष 2011-12 के पुनरीक्षित अनुमान से 570.50 करोड़ रूपये कम है ।

संबंधित वर्ष 2012-13 में विभिन्न स्रोतों से ऋण की उपलब्धता निम्नानुसार रहेगा-

(क) <u>**केन्द्र से उधार तथा अग्रिम**</u> - वर्ष 2012-13 के लिए रू0 1543.05 करोड़ रूपये केन्द्र सरकार से उधार तथा अग्रिम प्राप्त होने का अनुमान है जो वाह्य सहायता प्राप्त योजनाओं हेतु है ।

(ख) **<u>राष्ट्रीय अल्प बचत निधि (एन.एस.एस.एफ.) को जारी विशेष प्रतिभूतियां</u>**- राज्य सरकार के लिये वित्त व्यवस्था का यह एक महंगा स्रोत है । परन्तु यह राज्य में अल्प बचत योजनाओं में हुई जमा राशि के आधार पर अनिवार्यतः लेना पड़ता है । वर्ष 2012-13 में इस मद में रू0 1500 करोड़ प्राप्त होने का अनुमान है ।

(ग) **<u>वित्तीय संस्थानों से उधार</u>** - बाजार ऋण के अंतर्गत वर्ष 2012-13 में बजट अनुमान रू0 5048.78 करोड़ रूपये प्राप्त होने का अनुमान है । नाबार्ड से वर्ष 2012-13 में 1200.00 करोड़ रूपये ऋण प्राप्त होने का अनुमान है । उल्लेखनीय है कि यह ऋण जिन परियोजना के लिए स्वीकृत होता है उन परियोजनाओं के कार्य की अद्यतन स्थिति के आधार पर प्राप्त होता जाता है । इसलिए यह ऋण सबसे सस्ता स्रोत है । वर्त्तमान में 6.5 प्रतिशत की दर से ऋण प्राप्त होता है ।

(घ) **<u>उधारों तथा अग्रिमों की वसूली</u>** - 31 मार्च 2011 की स्थिति में राज्य का रू0 16642.19 करोड़ रूपया उधार तथा अग्रिम बकाया है । उधार एवं अग्रिम का एक बड़ा भाग रू0 13794.71 करोड़ बिहार राज्य विद्युत बोर्ड एवं बिहार राज्य जल विद्युत निगम पर बकाया है ।

(च) **<u>अन्य प्राप्तियां (शुद्ध) - भविष्य निधि आदि</u>** - राज्य की संचित निधि से बाहर लोक लेखे से उधार पूंजीगत प्राप्तियों का एक स्रोत है । उपलब्धता के आधार पर इनका उपयोग पूंजीगत व्यय के अन्तर की आपूर्ति करने के लिये किया जाएगा ।

(च) **<u>बकाया दायित्व - आंतरिक ऋण तथा अन्य दायित्व</u>** - वर्ष 2010-11 के लेखा अनुसार मार्च 2011 की समाप्ति पर लोक ऋण 47284.86 करोड़ रूपये है । राज्य के अन्य दायित्वों (लोक लेखा में अल्प बचत, भविष्य निधि की 9563.42 करोड़ रूपये की राशि) को जोड़कर यह राशि रू0 56848.28 करोड़ रूपया होती है ।

राज्य सरकार के दायित्वों के घटक										
										(रूपये करोड़ में)
अनु0 क्र.	प्रवर्ग	वर्ष के दौरान प्राप्ति			वर्ष के दौरान वापसी आदायगी			शेष राशि (31 मार्च को)		
		पूर्ववत्ती वर्ष 2010-11	चालू वर्ष 2011-12	आगामी वर्ष 2012-13	पूर्ववत्ती वर्ष 2010-11	चालू वर्ष 2011-12	आगामी वर्ष 2012-13	पूर्ववत्ती वर्ष 2010-11	चालू वर्ष 2011-12	आगामी वर्ष 2012-13
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
1	बाजार उधार	2600.00	3608.72	5048.78	892.23	1406.91	1336.02	17580.00	19781.81	23494.57
2	केन्द्र से ऋण	781.53	2375.91	1543.06	465.50	465.79	465.80	8264.48	10174.60	11251.86
3	एन0एस0एस0 एफ0 को जारी विशेष प्रतिभूतियां	2015.69	2200.00	1500.00	482.30	606.98	713.00	18326.52	19919.54	20706.54
4	वित्तीय संस्थाओं/बैंकों से उधार इत्यादि	635.20	904.26	1229.59	141.95	220.65	332.10	2064.80	2748.41	3645.90
5	भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय/ अधिविकर्षण	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8.86	-8.86	-8.86
6	बंध पत्र	0.00	0.00	0.00	208.05	207.56	207.56	1057.92	850.36	642.80
7	लोक लेखा (अल्पबचत, भविष्य निधि इत्यादि)	838.84	1206.97	806.35	586.14	1132.93	676.27	9563.42	9637.46	9767.54
योग		**6871.26**	**10295.86**	**10127.78**	**2776.17**	**4040.82**	**3730.75**	**56848.28**	**63103.32**	**69500.35**

(3) <u>कुल व्यय</u> :

कुल व्यय को राजस्व तथा पूंजीगत लेखे में वर्गीकृत किया जाता है । राजस्व लेखे में आयेजना व्यय तथा आयोजना भिन्न व्यय को सम्मिलित किया जाता है । वर्ष 2012-13 के बजट अनुमान अनुसार आयोजना राजस्व व्यय रू0 18879.96 करोड़ एवं आयोजना भिन्न राजस्व व्यय रू0 42079.31 करोड़ अनुमानित है ।

(क) **राजस्व लेखा** - राजस्व लेखा के अंतर्गत मुख्यतः वेतन, पेंशन, ब्याज भुगतान तथा अनुदान शामिल है ।

(i) **ब्याज भुगतान** - वर्ष 2012-13 में 5186 करोड़ रूपये का भुगतान किया जाना अनुमानित है ।

(ii) **वेतन** - वर्ष 2012-13 में आयोजना भिन्न मद में 14100.86 करोड़ रूपये का भुगतान किया जाना अनुमानित है । इस वेतन मद की राशि में राज्य सरकार के कर्मियों को भुगतान किये जाने वाली राशि को ही सम्मिलित किया गया है । लोक उपक्रम / विश्वविद्यालयों इत्यादि के कर्मियों को वेतन मद में सहायक अनुदान की राशि उपलब्ध करायी जाती है इसमें कर्णांकित नहीं है ।

(iii) **पेंशन** - पेंशनरों को भी छठे वेतनमान के पुनरीक्षण का लाभ दिया जा चुका है । वर्ष 2012-13 में 10043.02 करोड़ रूपये का व्यय अनुमानित है ।

(ख) **पूंजीगत लेखा** -

(i) **उधार तथा अग्रिम** - वर्ष 2012-13 के बजट अनुमान में उधार तथा अग्रिम मद में 1260.71 करोड़ रूपया अनुमानित है जिसमें आयोजना भिन्न मद में 86.91 करोड़ रूपये और आयोजना मद 1173.80 करोड़ रूपये का व्यय अनुमानित है ।

(ii) **पूँजीगत परिव्यय** -राज्य के पुँजीगत परिव्यय का उपयोग मुख्यतः सड़क, बिजली तथा सिंचाई जैसी अधिसंरचना विकास हेतु किया जा रहा है । वर्ष 2012-13 में आयोजना मद में 14483.79 करोड़ रूपये एवं गैर योजना मद में 102.28 करोड़ रूपये व्यय का अनुमान है ।

(4) **राज्य सकल घरेलू उत्पाद (जी.एस.डी.पी.) में वृद्धि** :

सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वर्ष 2004-05 से वर्ष 2010-11 के दौरान 2004-05 के स्थिर मूल्यों पर औसतन 11.36 प्रतिशत की वृद्धि दर हासिल हुई है । वर्ष 2012-13 के लिए राज्य सकल घरेलू उत्पाद की राशि एफ0आर0बी0एम0 अधिनियम के ऋण अधिसीमा के लिए गणना की है उसे ही दिखलाया गया है और वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 में वर्ष 2012-13 पर 11.5 प्रतिशत की वृद्धि का आधार मानते हुए प्रत्येक वर्ष दिखलाया गया है ।

(5) **संवहनीयता का निर्धारण :**

(1) **<u>सामान्य प्राप्तियों और व्ययों तथा विशेषकर राज्य की राजस्व प्राप्तियों एवं राजस्व व्यय के मध्य संतुलन</u>** - राजकोषीय अधिनियम में विचारित राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये आवश्यक है कि कुल व्यय, विशिष्टतः राजस्व व्यय, की अपेक्षा प्राप्तियों की दर में और अधिक तेजी से वृद्धि हो । वर्ष 2011-12 के बजट अनुमान के अनुसार कर राजस्व की जीएसडीपी से अनुपात 18.71 प्रतिशत है तथा वर्ष 2012-13 में इसके 18.50 प्रतिशत रहने की संभावना है । वर्ष 2011-12 में स्वयं के कर राजस्व का जीएसडीपी से अनुपात 5.95 प्रतिशत है और यह वर्ष 2012-13 में 5.95 प्रतिशत रहने की संभावना है । वर्ष 2011-12 के लिए केन्द्रीय करों में राज्य के हिस्से का जीएसडीपी से अनुपात 12.76 प्रतिशत है और यह वर्ष 2012-13 में 12.55 प्रतिशत संभावित है ।

वर्ष 2011-12 में ब्याज भुगतान तथा कुल राजस्व प्राप्तियों का अनुपात 8.43 प्रतिशत अनुमानित है जो वर्ष 2012-13 के बजट अनुमान में घट कर 7.62 प्रतिशत हो जाने की संभावना है । यह संवहनीयता की दृष्टि से लक्षित 15 प्रतिशत की सीमा से कम है ।

वर्ष 2011-12 के बजट अनुमान के अनुसार कुल दायित्व का राज्य सकल घरेलू उत्पाद से अनुपात 29.85 प्रतिशत अनुमानित है। यह अनुपात वर्ष 2012-13 में 26.34 रहने की संभावना है ।

(2) **<u>आयोजना भिन्न राजस्व व्यय में वृद्धि का अनुमान</u>** - राज्य कर्मचारियों एवं पेंशनरों को छठवें वेतन आयोग के अनुरूप वेतनमान/पेंशन दिये जाने के साथ ही बकाया एरियर्स का भी भुगतान किये जाने के फलस्वरूप वर्ष 2011-12 के बजट अनुमान के अनुसार वर्ष 2010-11 की तुलना में वेतन मद में 25.10 प्रतिशत तथा पेंशन मद में 23.44 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है । इसके अतिरिक्त राज्य वेतन आयोग की अनुशंसाओं के परिणामस्वरूप भी राज्य के आयोजना भिन्न राजस्व व्यय में वृद्धि संभावित है ।

राज्य के द्वारा राजकोषीय घाटे को सीमित रखने तथा आवश्यकता के आलोक में ऋण लेने के कारण ब्याज भुगतान पर व्यय में वृद्धि नियंत्रित रही है । वर्ष 2011-12 के बजट अनुमान अनुसार ब्याज मद में वर्ष 2010-11 की तुलना में 9.71 प्रतिशत तथा वर्ष 2012-13 के बजट अनुमान अनुसार वर्ष 2011-12 की तुलना में 9.44 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है । आयोजना भिन्न राजस्व व्यय में वर्ष 2011-12 के बजट अनुमान की तुलना में वर्ष 2012-13 में 21.55 प्रतिशत की वृद्धि दर अनुमानित है ।

(3) **<u>पूँजीगत प्राप्तियाँ जिसमें बाजार ऋण भी सम्मिलित हैं, का उत्पादक आस्तियों के सृजन के लिये उपयोग</u>** - राज्य के द्वारा राजस्व आधिक्य की स्थिति वर्ष 2004-05 में ही प्राप्त कर ली गई थी एवं लगातार सातवें वर्ष भी राजस्व आधिक्य की स्थिति बनाये रखी गई है । सभी पूंजीगत प्राप्तियों का उपयोग सरकार की प्राथमिकताओं के अनुसार सिंचाई, सड़क तथा पुलों आदि के निर्माण में किया जा रहा है । आधारभूत क्षेत्रों में लोक निवेश को और बढ़ाने की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए पूँजीगत प्राप्तियों में वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है ।

(4) **<u>आगामी दस वर्षों हेतु पेंशन के दायित्व की गणना</u>** - पेंशन भुगतान में वृद्धि की प्रवृति की गणना में पेंशनरों को छठवें वेतनमान के अनुसार पेंशन पुनरीक्षण एवं उन्हें देय महंगाई राहत में वृद्धि होने के कारण को ध्यान में रखते हुए की गयी है । वर्ष 2012-13 से आगे के वर्षों के लिए आधार 16 प्रतिशत की वृद्धि दर प्रत्येक वर्ष पर मानी गयी है ।

अगले 10 वर्षो के लिए प्राक्कलित वार्षिक पेंशन दायित्व का ब्यौरा	
वर्ष	**राशि करोड़ रूपये में**
2011-12	7584.38
2012-13	10043.02
2013-14	11649.90
2014-15	13513.89
2015-16	15676.11
20116-17	18184.29
2017-18	21093.77
2018-19	24468.78
2019-20	28383.78
2020-21	32925.19

(ग) राजकोषीय नीति कार्य योजना विवरणः-

(1) **<u>राजकोषीय नीति - विस्तृत विचार</u>** : राज्य की राजकोषीय नीति का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य राज्य में पूँजीगत व्यय को बढ़ाना है ताकि सामाजिक एवं भौतिक अधीसंरचना में निवेश किया जा सके । इससे राज्य की अर्थव्यवस्था की उत्पादकता के आधार को बढ़ाया जा सकता है तथा निजी पूंजी निवेश को आकर्षित करने में सहायता मिलेगी । इसके साथ ही समावेशी वृद्धि की अवधारणा को सम्मिलित करते हुए सामाजिक क्षेत्रों में राजस्व व्यय को भी बढ़ाने की आवश्यकता है । इन उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए राजस्व प्राप्तियों को बढ़ाना एवं अनुत्पादक आयोजना भिन्न राजस्व व्यय को घटाना आवश्यक है । पूर्व

वर्षों में आर्थिक विकास की दर में सुधार होने के कारण कर संग्रहण में वृद्धि देखी गई है ।

ऋणों की अदला-बदली तथा बारहवें वित्त आयोग द्वारा उपलब्ध ऋण समेकन एवं सहायता सुविधा के कारण ब्याज दरों में कमी हुई है । इस कारण ब्याज भुगतान में वृद्धि नियंत्रित रही है ।

राज्य की राजस्व प्राप्तियों में वर्ष 2011-12 के बजट अनुमान की तुलना में वर्ष 2012-13 के बजट अनुमान में 21.07 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है । राज्य के स्वयं के कर राजस्व में वर्ष 2011-12 के बजट अनुमान की तुलना में वर्ष 2012-13 बजट अनुमान में 24.74 प्रतिशत वृद्धि अनुमानित है । करेत्तर राजस्व में वर्ष 2011-12 के बजट अनुमान की तुलना में वर्ष 2012-13 बजट अनुमान में 5.24 प्रतिशत वृद्धि अनुमानित है ।

आयोजना भिन्न राजस्व व्यय में वर्ष 2011-12 की तुलना में वर्ष 2012-13 के बजट अनुमान में 21.55 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है । इस वृद्धि का मुख्य कारण राज्य कर्मचारियों/पेंशनरों को छठवें वेतन आयोग की अनुशंसा अनुरूप वेतनमान/पेंशन, महंगाई भत्ते/राहत की अतिरिक्त किश्त एवं बकाया एवं विश्वविद्यालयों के शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के वेतनों एवं पेंशन में वृद्धि के कारण राशि दिया जाना है ।

राज्य का राजस्व अधिक्य वर्ष 2011-12 के बजट अनुमान रू0 6272.30 करोड़ की तुलना में वर्ष 2012-13 में रू0 7088.59 करोड़ अनुमानित है तथा राजकोषीय घाटा वर्ष 2011-12 के बजट अनुमान रू0 6194.03 करोड़ की तुलना में वर्ष 2012-13 में रू0 7569.43 करोड़ अनुमानित है । यह राजकोषीय संकेतक बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2006 के अन्तर्गत निर्धारित लक्ष्य की सीमा में है ।

(2) **<u>आगामी वर्ष के लिये राजकोषीय नीति</u>** : चूंकि वर्तमान राजकोषीय नीति के अच्छे एवं सकारात्मक परिणाम सामने आये हैं अतः राज्य शासन द्वारा उक्त नीति को आगामी वित्तीय वर्ष हेतु भी लागू किया जायेगा ।

(अ) कर नीति : कर की दरों को युक्ति युक्त बनाकर कराधार को विकसित करना राज्य सरकार की प्राथमिकता है । साथ ही कर की अपवंचना को रोकना और कर संग्रहण में सूचना एवं प्रावैधिकी का अधिकाधिक उपयोग किया जाना राज्य सरकार की प्राथमिकता है । कर संग्रहण से जुड़े लोगों के कार्यकलापों की समय-समय पर समीक्षा तथा अच्छे प्रयासों के लिए प्रोत्साहित करने पर भी सरकार का बल है । इन्हीं सब कारणों से मंदी के बावजूद भी राज्य सरकार के अपने कर संग्रहण में वर्ष 2009-10 की तुलना में वर्ष 2010-11 में 22.01 प्रतिशत की भारी वृद्धि दर्ज की गयी है ।

केन्द्रीय स्तर पर गठित वित्त मंत्रियों की प्राधिकृत समिति के द्वारा वस्तु एवं सेवा कर (जी0 एस0 टी0) लागू करने पर विचार हो रहा है ।

अपने कर के दरों को युक्ति युक्त बनाने के लिए बिहार वित्त विधेयक, 2012 लाया जा रहा है जिसमें निम्नलिखित महत्वपूर्ण प्रस्ताव हैः-

बिहार वित्त विधेयक 2012 के चार भाग है :-

1 बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम 2005 में संशोधन,
2. बिहार विद्युत शुल्क अधिनियम 1948 में संशोधन,
3. बिहार पेशा, व्यापार, आजीविका एवं कार्य नियोजन पर कर अधिनियम, 2011 में संशोधन तथा
4. बिहार मोटर वाहन करारोपण अधिनियम 1994 में संशोधन ।

भाग-(1) बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम 2005 में संशोधन

अधिनियम में एक नयी धारा 15 (क) जोड़ी जा रही है जिसमें नई वस्तुओं (जैसे सोना, चाँदी, रेस्तराँ,) एवं व्यवसाय श्रेणियों (जैसे कार्य संवेदक) को समाहितीकरण योजना में लाये जाने का संबंधित प्रस्ताव है ।

धारा 16 में संशोधन कर इन्पुट टैक्स क्रेडिट की वापसी की समय सीमा निर्धारित करना, साथ ही समाहितीकरण के तहत जो व्यवसायी होंगे उन्हें इन्पुट टैक्स क्रेडिट की अनुमान्यता समाप्त करना एवं राज्य के अन्दर की खरीद के मामले में बिक्री के दूसरे चरण पर यदि वस्तु का विक्रयमूल्य क्रयमूल्य से कम है और लगातार इन्पुट टैक्स क्रेडिट आगे ले जाना हो रहा हो तो ऐसे इन्पुट टैक्स क्रेडिट के वापसी पर प्रतिबंध लगाना प्रस्तावित है ।

अधिनियम की धारा 19 में से कर देयता नहीं होने पर निबंधन की स्थिति में 10,000 रूपये प्रतिभूति जमा करवाना प्रस्तावित है ।

राज्य भर में विवरणी दाखिल करने हेतु एक ही तिथि निर्धारित की गयी है जिससे वैटमिस सर्वर पर लोड बढ़ गया है एवं व्यवसायियों को विवरणी दाखिल करने में बिलम्ब हो रहा है इसलिए धारा 24 में संशोधन कर अलग-अलग व्यवसायी श्रेणी के लिए विवरणी दाखिल करने हेतु अलग अलग तिथि निर्धारित किया जाना प्रस्तावित है ।

धारा 35 में एक उप धारा जोड़ी गयी है जिससे कार्य संवेदकों समाहितीकरण के तहत आऐंगे उनके लिए स्त्रोत पर कर की कटौती की दर भिन्न निर्धारित करना प्रस्तावित है ।

धारा 41 में एक उप धारा से कार्य संविदा पर स्त्रोत पर कर की कटौती की दर 4 प्रतिशत से बढ़ा कर 5 प्रतिशत किया जाना प्रस्तावित है ।

धारा 69 में एक नयी धारा 69(क) शामिल की गयी है जिससे इन्पुट टैक्स क्रेडिट वापसी के मामले में आवश्यक छान-बीन के बाद कर वापसी प्रस्तावित है ।

धारा 98 में एक नयी धारा 98(क) शामिल की गयी है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से कर भुगतान, रिटर्न फाईलिंग, प्रपत्र निर्गमण, कर वापसी के कार्य कार्यान्वयन की प्रक्रिया में आवश्यक संशोधन की शक्ति आयुक्त को दिया जाना प्रस्तावित है ।

भाग-(2) बिहार विद्युत शुल्क अधिनियम 1948 में संशोधन -

उर्जा के मूल्य में 6 प्रतिशत की दर से विद्युत शुल्क संग्रहित करने का प्रावधान है । लेकिन उर्जा के मूल्य की स्पष्ट परिभाषा नहीं रहने से सरकार एवं विद्युत उपभोक्ता के बीच अनावश्यक विवाद उत्पन्न हो जा रहा है । इसलिए अधिनियम की धारा 2 में संशोधन कर ‘‘उर्जा का मूल्य’’ को भूतलक्षी प्रभाव से पारिभाषित करना प्रस्तावित है ।

भाग-(3) बिहार पेशा, व्यापार, आजिविका एवं कार्य नियोजन पर कर अधिनियम, 2011 में संशोधन-

इस अधिनियम की धारा 3 में संशोधन किया गया है जिससे पेशाकर के मामले में अधिकतम कर भुगतान करने वाले करदाताओं को विवरणी दाखिल करने एवं उनके कर निर्धारण की कार्यवाई से विमुक्त करना एवं जो करदाता पेशाकर एवं उसके ब्याज का भुगतान करते हुए विवरणी दाखिल कर देते है उन्हें कर निर्धारण से विमुक्त करना प्रस्तावित है ।

उपरोक्त तीनों भागों के प्रस्तावित संशोधन से लगभग 75 करोड़ रूपये अतिरिक्त राजस्व की प्राप्ति प्रतिवर्ष प्राप्त होना संभावित है ।

भाग-(4) बिहार मोटर वाहन करारोपण अधिनियम 1994 की अनुसूची I एवं परिशिष्ट 3 में संशोधन-

राज्य में सरकार परिवर्त्तन के साथ विगत वर्षों में सड़कों पर दौड़ने वाले मोटर वाहनों में 15 से 20 प्रतिशत की वृद्धि हुई है । इससे एक तरफ जहाँ सड़कों पर भार बढ़ गया है वहीं दूसरी तरफ पर्यावरण प्रदूषण की समस्या भी बढ़ी है । इससे सड़कों की रख-रखाव एवं संवर्द्धन करने तथा पर्यावरण प्रदूषण को न्यूनतम स्तर पर रखने एवं हरित बिहार की उद्देश्य की प्राप्ति हेतु सरकार को अधिक राशि खर्च करनी पड़ रही है । इसलिए आवश्यक है कि मोटर वाहन करों में अपेक्षित वृद्धि की जाय ।

वर्त्तमान में मोटर साइकिल पर वैट रहित क्रय मूल्य का 6 प्रतिशत, 4 लाख रूपये तक के कार पर वैट रहित क्रय मूल्य का 6 प्रतिशत एवं 4 लाख से अधिक मूल्य के कार पर वैट रहित क्रय मूल्य का 7 प्रतिशत प्रस्तावित किया गया है, इसके अतिरिक्त व्यापारी या निर्माता के अधीन मोटर साइकिल, भारी वाहनों के चेचिस एवं अन्य वाहन के लिए क्रमशः वार्षिक कर प्रति वाहन 150 रूपये, 250 रूपये एवं 200 रूपये प्रस्तावित

है । प्रस्तावित संशोधन से लगभग 28 करोड़ रूपये अतिरिक्त राजस्व की प्राप्ति प्रतिवर्ष प्राप्त होना संभावित है ।

(ब) व्यय नीति : आयोजना भिन्न के अनुत्पादक व्यय में कमी करना, राज्य योजना व्यय में वृद्धि करना, केन्द्र प्रायोजित योजना के अन्तर्गत विभिन्न परियोजनाओं के लिए केन्द्र सरकार से अधिक से अधिक राशि प्राप्त कर उक्त परियोजनाओं का क्रियान्वयन किया जाना है ।

राज्य की बजट प्रस्तुतिकरण व्यवस्था में अपनायी गई कुछ अन्य प्रमुख व्यवस्था निम्नानुसार है :-

(क) परिणाम बजट :- सरकार द्वारा वित्तीय प्रावधानों के माध्यम से महत्वपूर्ण भौतिक परिणाम दर्शानि वाले विवरणी ''परिणाम बजट'' की पहल वर्ष 2006-07 में शुरू की गयी थी । इसी परिपाटी के क्रम में वर्ष 2012-13 के लिए परिणाम बजट, बजट सत्र में प्रस्तुत किया जायेगा ।

(ख) जेण्डर बजट :- महिला प्रवर्ग द्वारा उनकी पूर्ण क्षमता की प्राप्ति के प्रति सरकार की वचनबद्धता जेण्डर बजट से परिलक्षित होती है। जेण्डर बजट के अन्तर्गत महिलाओं को लाभन्वित करने वाली प्रमुख योजनाओं को सम्मिलित किया जाता है ताकि इनका उचित वर्गीकरण तथा बेहतर लक्ष्य का निर्धारण हो सके। जेण्डर बजट वर्ष 2008-09 से प्रस्तुत किया जा रहा है । इसी क्रम में वर्ष 2012-13 हेतु भी जेण्डर बजट, बजट सत्र में प्रस्तुत किया जायेगा ।

(ग) उपलब्धि प्रतिवेदन:- वित्तीय वर्ष 2006-07 से उपलब्धि प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की परिपाटी शुरू की गयी है । उपलब्धि प्रतिवेदन एक ऐसा माध्यम है जिससे व्यय के उपरान्त समीक्षा द्वारा व्यय की उपयोगिता, सरकार के वित्तीय संव्यवहारों में पारदर्शिता एवं जवाबदेही को सुनिश्चित किया जा सकता है । प्रत्येक वर्ष वित्तीय वर्ष की समाप्ति के उपरांत संबंधित वर्ष उपलब्धि प्रतिवेदन तैयार कर जून/जूलाई माह में होने वाले विधान मंडल के सत्र में प्रस्तुत कराया जाता है । वर्ष 2011-12 का उपलब्धि प्रतिवेदन जून/जूलाई माह में होने वाले विधान मंडल के सत्र में प्रस्तुत किया जायेगा ।

(3) **<u>ऋण एवं आकस्मिक दायित्व</u>**: वर्ष 2004-05 से राजस्व आधिक्य की स्थिति प्राप्त की जा चुकी है तथा तत्पश्चात निरन्तर राजस्व आधिक्य की स्थिति बनी हुई है। इसके परिणामस्वरुप पूंजी निवेश हेतु ऋण पर निर्भरता कम करते हुये भी पूंजीगत व्यय में वृद्धि की जा सकी है । आन्तरिक ऋण एवं केन्द्र सरकार के ऋणों की वापसी के लिए वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में निक्षेप निधि का गठन किया गया है । 31 मार्च 2011 में इस निक्षेप निधि में जमा की गयी राशि 490.02 करोड़ रूपये की है । विवरणी निम्नलिखित है-

निक्षेप निधि विवरणी			
			राशि करोड़ में
1 अप्रैल 2010 को शेष	वर्ष 2010-11 में निक्षेप निधि में निवेश	निवेश पर ब्याज	31 मार्च 2011 को शेष
280.00	**160.00**	**50.02**	**490.02**

(4) <u>आगामी वर्ष के लिये कार्यनीति एवं प्राथमिकताएँः</u>

(i) प्रत्येक विभाग के वित्तीय प्रशासन को सुदृढ़ करना,

(ii) वाणिज्यकर विभाग, परिवहन विभाग, निबंधन, मद्य निषेध एवं उत्पाद विभाग, खनन एवं भूतत्व विभाग एवं पर्यावरण एवं वन विभाग की समेकित कम्प्यूटरीकृत पाँच जाँच चौकियों पर कार्य प्रारंभ करवाना,

(iii) जन शिकायत कोषांग का सुदृढ़ीकरण करना,

(iv) बिहार वित्तीय नियमावली में आमूल-चूल सुधार कर नयी वित्तीय नियमावली बनाना,

(v) निगरानी व्यवस्था को सुदृढ़ीकरण करना,

(vi) राज्य कर्मियों की उत्पादकता वृद्धि हेतु प्रशिक्षण दिया जाना तथा

(vii) बिहार बजट हस्तक में आमूल-चूल सुधार कर नये बजट हस्तक बनाना,

(viii) सभी राज्य कर्मियों के लिए मानव संसाधन प्रबंधन को कम्प्यूटरीकृत करना तथा पेंशन का डाटा बेस बनाना ।

(5) नीति परिवर्तन के मूल आधार :

(i) राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के वेतन तथा पेंशन में वृद्धि की है । सामाजिक क्षेत्र में राजस्व व्यय का पूरक स्वरूप विदित है । शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्र में अधिक शिक्षकों, चिकित्सकों, अर्द्ध चिकित्सीय कर्मचारियों की आवश्यकता है । राज्य में गरीबी तथा कुपोषण की उच्च दर के कारण खाद्यान्न सुरक्षा महत्वपूर्ण है । इसके कारण राजस्व व्यय बढ़ सकता है ।

(ii) सामान्यतः ऋण कार्यक्रम तय करते समय मुद्रा बाजार में हो रहे परिवर्त्तनों को ध्यान में रखा जाता है । ऋण नीति का उद्देश्य ऋण की औसत लागत कम करना एवं इसकी उत्पादकता बढ़ाना है ।

(iii) कृषि विकास की दर में वृद्धि के लिए कृषि उत्पादन में लगने वाले आदानों (इनपुट) की लागत कम करने तथा उनकी उपलब्धता सुनिश्चित करने की आवश्यकता है । इस हेतु कृषि रोड मैप तैयार किया गया है ।

(6) **<u>नीति मूल्यांकन</u>** : बिहार राजकोषीय एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2006 के अनुसार वांछित राजकोषीय जानकारियाँ उपलब्ध कराई गई है । मध्यकालिक राजकोषीय नीति विवरण वर्ष 2010-11 के लेखा, वर्ष 2011-12 के बजट पुनरीक्षित अनुदान, वर्ष 2012-13 के बजट अनुमान तथा वर्ष 2013-14 से वर्ष 2014-15 का प्राक्कलन राजकोषीय घाटे की 3.00 प्रतिशत की अधिसीमा को ध्यान में रखते हुए अनुमानित किया गया है ।

संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम द्वारा प्रतिपादित उद्देश्यों, लक्ष्यों एवं सिद्धान्तों का अधिकाधिक पालन सुनिश्चित किया जा रहा है ।

****